

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :- 17/2020

निर्णय दिनांक 15-6-20

उनवान

1. बजरंगा पुत्र बंदी जाति ब्राह्मण निवासी - ग्राम रामपुरावास गोनेर तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

—प्रतिवादी

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत।


प्रार्थी ग्राम रामपुरावास गोनेर तहसील चाकसू के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 126, 127, 128, 184, 188, 189, 343, 344, 349 कुल किता 9 कुल रकबा 4.04 है0 भूमि वाके ग्राम रामपुरावास गोनेर तहसील चाकसू में स्थित है जिस भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी। जवाब प्रार्थना पत्र हेतु लिखा गया। किन्तु वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है जवाब सरकार भी प्राप्त हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान रिपोर्ट, जवाब सरकार एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं जवाब सरकार के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यदि

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

आस पास के खसरो में फसल नही हो तो प्रार्थिया की भूमि पर नियमानुसार पत्थर गढी की करवायी कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 126, 127, 128, 184, 188, 189, 343, 344, 349 कुल किता 9 कुल रकबा 4.04 है0 भूमि वाके ग्राम रामपुरावास गोनेर तहसील चाकसू में स्थित है की पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस0डी0एम0) चाकसू

